न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 25/2016

अनवान :

1. रविकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

– प्रार्थी

बनाम

1. महावीर पुत्र हरिराम उर्फ हरिसिंह जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
3. सब रजिस्ट्रार छानीबड़ी।

– अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा : **प्रार्थी**

वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **अप्रार्थी सं0 1**

निर्णय **दिनांक :** 25-6-18

संक्षेप में दरख्वास्त के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 12 जोगीवाला के खाता सं0 30/27 के मु0नं0 4 के किला नं0 6 ता 9, 12 ता 25, की कुल 4.5540 है0 नहरी मु0नं0 5 के किला नं0 10 ता 25 की 3.9730 है0 कृषि भूमि जिसमें गै0मु0 रास्ता 0.0260 है0 मु0नं0 28 के किला नं0 1, 2 की 0.506 है0 नहरी जिसमें गै0मु0 खाला 0.0500 है0 मु0नं0 29 के किला नं0 2 ता 5, 7, 8 की 10.5510 है0 जिसमें गै0मु0 रास्ता 0.0260 है0 एवं गै0मु0खाला 0.1500 है0 खाता सं0 94/93 के मु0नं0 5 के किला नं0 1/2 की 0.1770 है0 मु0नं0 44 के किला नं0 23, 24 की 0.506 है0 कुल 0.6830 है0 नहरी कृषि भूमि चक 13 जोगीवाला के खाता सं0 77/76 के मु0नं0 5 के किला नं0 1, 2 किला 3/1, किला नं0 3/2 किला नं0 4/1 किला नं0 4/2 किला नं0 9 ता 11 की 1.7320 है0 मु0नं0 6 के किला नं0 16, 17 एंव 25 की 0.759 है0 मु0नं0 7 के किला नं0 6, किला नं0 15 ता 25 की 3.0360 है0 मु0नं0 8 के किला नं0 10 ता 11 किला नं0 20, 21 की 1.0120 है0 मु0नं0 13 के किला नं0 1 ता 4, किला नं0 7, 8 किला नं0 9/1, किला नं0 9/2, किला नं0 10/1, किला नं0 10/2 किला नं0 11 ता 12 किला नं0 13/1, किला नं0 13/2, किला नं0 14, किला नं0 18 ता 20 की 3.6920 है0 नहरी कृषि भूमि है जिसमें गैरमुमकिन खाला 0.1000 है0 मु0नं0 14 के किला नं0 5/1 किला नं0 5/2, किला नं0 6, किला नं0 15, 16 की 0.9740 है0 जिसमें गै0मु0 खाला 0.250 है0 कुल 11.2050 है0 जिसमें खाला 0.1250 है0 नहरी कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी महावीर की विरासतन कृषि भूमि है एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी महावीर का विरासतन हक व हिस्सा है। उक्त कृषि भूमि बाबत प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

दरख्वास्त पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर अतिरिक्त कथन किया कि सायल ने अपने दावा व दरख्वास्त में वादभूमि में अपना हक हिस्सा तर्क करने वाले खातेदार काश्तकार शान्ति, शकुन्तला को पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि शान्ति व शकुन्तला के हिस्सा की भूमि में सायल घोषणा करवाना चाहता है। ऐसे में प्रकरण सायल आवश्यक पक्षकारों के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। सायल ने इन्ही विवाधकों के सम्बन्ध में पहले दावा पेश किया था तथा अब भी उन्हीं विवाधकों के लिये पुन : दावा व दरख्वास्त पेश किया है, इसलिये दरख्वास्त सायल चलने योग्य नहीं है। वादभूमि में शान्ति एवं शकुन्तला ने अपना हक हिस्सा गैरसायल महावीर के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड दस्तबरदारी तर्क कर दिया था जिसे भी न्यायालयहाजा में सायल ने उक्त दस्तबरदारी को चुनौती दी है। रजिस्टर्ड दस्तावेज के सम्बन्ध में सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता राजस्व न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय को है। इसलिये दरख्वास्त सायल खारिज किये जाने योग्य है। गैरसायल वादभूमि का खातेदार काश्तकार है। कानूनन खातेदार काश्तकार के खिलाफ सायल किसी भी किस्म की निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है। दरख्वास्त सायल इस आधार पर भी खारिज किये जाने योग्य है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादभूमि पैत्रक सम्पति है जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी को विरासतन व जरिये दस्तबरदारी प्राप्त हुई है। हक त्याग के सम्बन्ध में विवाधक बिन्दु का मूल वाद में जरिये साक्ष्य गुणावगुण पर निर्णय होना है। प्रार्थी वादभूमि में जरिये विरासतन व जरिये दस्तबरदारी हक हिस्सा प्राप्त कर सहखातेदार दर्ज है, अर्थात् प्रार्थी का वादभूमि में हक हिस्सा है, मगर प्रार्थी/अप्रार्थी का हक हिस्सा कितना है यह मूलवाद में गुणावगुण के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जब वादभूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी के हक हिस्सा का निर्धारण किया जाना है तो वादभूमि को वाद के निर्णय तक सुरक्षित रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वादभूमि के अन्तरण से वाद कलिष्टता व वाद निरन्तरता बढने की संभावना उत्पन्न होती है जिससे प्रार्थी को असुविधा उत्पन्न होगी। वादभूमि के अन्तरण से प्रार्थी के हक हिस्सा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की संभावना है। प्रार्थी प्रथम दृष्टया वादभूमि के सम्बन्ध में अपना पक्ष साबित करने में सफल रहा है। सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण वादभूमि राही मौजा चक 12 जोगीवाला के खाता सं0 30/27 के मु0नं0 4 के किला नं0 6 ता 9, 12 ता 25, की कुल 4.5540 है0 नहरी मु0नं0 5 के किला नं0 10 ता 25 की 3.9730 है0 कृषि भूमि जिसमें गै0मु0 रास्ता 0.0260 है0 मु0नं0 28 के किला नं0 1, 2 की 0.506 है0 नहरी जिसमें गै0मु0 खाला 0.0500 है0 मु0नं0 29 के किला नं0 2 ता 5, 7, 8 की 10.5510 है0 जिसमें गै0मु0 रास्ता 0.0260 है0 एवं गै0मु0खाला 0.1500 है0 खाता सं0 94/93 के मु0नं0 5 के किला नं0 1/2 की 0.1770 है0 मु0नं0 44 के

किला नं0 23, 24 की 0.506 है0 कुल 0.6830 है0 नहरी कृषि भूमि व चक 13 जोगीवाला के खाता सं0 77/76 के मु0नं0 5 के किला नं0 1, 2 किला 3/1, किला नं0 3/2 किला नं0 4/1 किला नं0 4/2 किला नं0 9 ता 11 की 1.7320 है0 मु0नं0 6 के किला नं0 16, 17 एंव 25 की 0.759 है0 मु0नं0 7 के किला नं0 6, किला नं0 15 ता 25 की 3.0360 है0 मु0नं0 8 के किला नं0 10 ता 11 किला नं0 20, 21 की 1.0120 है0 मु0नं0 13 के किला नं0 1 ता 4, किला नं0 7, 8 किला नं0 9/1, किला नं0 9/2, किला नं0 10/1, किला नं0 10/2 किला नं0 11 ता 12 किला नं0 13/1, किला नं0 13/2, किला नं0 14, किला नं0 18 ता 20 की 3.6920 है0 नहरी कृषि भूमि है जिसमें गैरमुमकिन खाला 0.1000 है0 मु0नं0 14 के किला नं0 5/1 किला नं0 5/2, किला नं0 6, किला नं0 15, 16 की 0.9740 है0 जिसमें गै0मु0 खाला 0.250 है0 कुल 11.2050 है0 जिसमें खाला 0.1250 है0 नहरी कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है को रहन बैय नहीं करें। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 25-6-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़